न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या –131/2019 प्रार्थना पत्र

1. श्री लालसिंह पुत्र श्री कालुसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क पेशा काश्त निवासी अरनोदा तहसील निम्बाहेडा
2. श्री शम्भुसिंह पुत्र श्री कालुसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क पेशाकाश्त निवासी अरनोदा तहसील निम्बाहेडा
3. श्री बलवन्तसिंह पुत्र श्री कालुसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क पेशाकारत निवासी अरनोदा तहसील निम्बाहेडा
4. श्रीमति कलावती धर्मपत्नि श्री कालुसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क पेशा काश्त निवासी अरनोदा तहसील निम्बाहेडा

....प्रार्थीगण

//बनाम//

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार, निम्बाहेडा

......................विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री आर.के. सेठिया– अधिवक्ता प्रार्थी
2– पैरोकार सरकार तहसीलदार – विपक्षी नं0 1

:: निर्णय ::

दिनांक :–31.07.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी ग्राम फुटवाल पटवार हल्का अरनिया जोशी तहसील निम्बाहेडा में निम्नानुसार स्थित है : नवीन सेटलमेन्ट अनुसार

खाता नम्बर 86		
आराजी नम्बर	तादादी हैक्टेयर	लगानी रूपये–पैसा
329	0.29	01.45
351	0.71	03.55
355	0.24	01.20
356	0.64	[illegible]
357	0.15	[illegible]
358	0.47	[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:12:27 IST
Reason: SelfAttested

कुल किता 6 जुमला तादादी 2.50 हैक्टेयर जुमला लगानी 12 रूपये 50 पैसे है।

2. यह है कि आवेदन पत्र की कालम नम्बर 1 में वर्णित आराजियात मौजा फुटवाल पटवार हल्का अरनिया जोशी तहसील निम्बाहेडा के नवीन (हाल) सेटलमेन्ट से पूर्व संवत् 2058 से संवत् 2061 की जमाबंदी अनुसार निम्न प्रकार थे :

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

खाता नम्बर 74		
आराजी नम्बर	तादादी बीघा–बिस्वा	लगानी रूपये–पैसा
168 169 मी 170 मी 205 / 166 मी 228 / 167 231 / 206 / 166	00–12 02–11 00–19 01–03 01–17 1–11	जुमला लगानी 06.01

कुल किता 6 जुमला तादादी 9 बीघा 13 बिस्वा जुमला लगानी 06 रूपये 01 पैसे है।

3. यह कि कामेरी बाई का देहान्त हो चुका है, आवेदन पत्र के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति पेश हैं। प्रार्थीगणों का विवादित आराजियात में संयुक्त हिस्सा 356 / 396 हैं, तथा प्रार्थी लालसिंह का पृथक हिस्सा उसका क्रयशुदा 40 / 396 हैं। जिसका अंकन राजस्व रेकार्ड में अंकित हैं।
4. यह कि पुराना नम्बर 231 / 206 / 166 तादादी 2 बीघा 16 बिस्वा जिसका नम्बर हाल सेटलमेन्ट अनुसार 351 हैं जो कि प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 358 के उत्तरी पूर्वी ओर है, जो कि पुराने नम्बर 228 / 167 के पूर्वी एवं दक्षिणी कोने तक तथा उत्तरी ओर लंबी पट्‌टी के रूप में तथा पुराने आराजी न. 169 के उत्तरी ओरतक पुराने नक्शे मे अंकित है परन्तु वर्तमान सेटलमेन्ट नक्शे में नवीन आराजी नं0 351 को गलत इन्द्राज करते हुवे आराजी नं0 358 के उत्तरवउत्तरी पूर्वी व दक्षिणी कोने तक आराजी नं० 358 होती है परन्तु आराजी नं0 359 गलत रुप से दर्शित कर आराजी नं0 358 व 351 का क्षेत्र नवीन नक्शा ट्रेस में कम अंकित किया हैं, जो नवीन सेटलमेन्ट के समय नक्शा ट्रेस में राजस्व कर्मचारियो की भुल से गलत इन्द्राज हुआ हैं। प्रार्थीगणो ने प्रार्थना पत्र के अन्त में पूर्व सेटलमेन्ट अनुसार नवीन राजस्व रिकार्ड में शुद्धि करने का निवेदन किया।
5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। विपक्षी तहसीलदार, निम्बाहेड़ा से प्रकरण में जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। विपक्षी संख्या तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्र क्रमांक / प्र0गा0स0अ0 / विविध / 2023 / 80 दिनांक 12.05.2023 के माध्यम से प्रकरण में अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया जिन्होंने प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को मात्र दोहराते हुए साबिक नक्शे के मुकाबले नवीन राजरव नक्शे में आवश्यक संशोधन करने हेतु निवेदन किया गया। तहसीलदार निम्बाहेडा ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकित किया हैं कि ग्राम फुटवाल, पटवार हल्का, अरनिया जोशी की वर्तमान आराजी नम्बर 329,351,355,356,357,358 किता 6 रकबा 2.50 हैक्टेयर भूमि जमाबंदी संवत 2072–2075 की खाता संख्या 86 पर श्री लालसिंह, शम्भुसिंह, [illegible] पिता कालुसिंह, बलवन्तसिंह ना.बा.वि.माता कलावती, मु. कामेरी[illegible] 356 / 396 दरोगा, शम्भुसिंह पिता कालुसिंह राजपूत 40 / 396 सा. अरनोदा खाते [illegible] (रहन बदस्तूर) दर्ज रेकार्ड था। जमाबन्दी प्रति संवत 2058–2061 की खाता संख्या 74 पर दर्ज गत साबिक आराजी नम्बर 168 रकबा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 169मी. रकबा 2–11 बीघा, आराजी नम्बर 170मी रकबा 19 बिस्वा, 205 / 166 मी रकबा 1–03 बीघा, आराजी नम्बर 228 / 167 रकबा 1–17 बीघा, एवं 231 / 206 / 166 रकबा 2–11 बीघा किता 6 रकबा 9–13 बीघा खातेदार लालसिंह, शम्भुसिंह, बलवन्तसिंह पिता कालुसिंह, शम्भुसिंह, बलवन्तसिंह ना.बा.वि. माता कलावती, मु. कामेरीबाई बेवा किशनसिंह दरोगा सा.अरनोदा के नाम दर्ज रिकार्ड थी। गत साबिक आराजी नम्बरान के मिलान क्षेत्रफल अनुसार नवीन नम्बर निम्नानुसार बने है :

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:12:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

क्र.सं.	नवीन आराजियात का विवरण		साबिक आराजियात का विवरण	
	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	आराजी नम्बर	रकबा (बीघा में)
1	357	0.15	168	0–12
2	356	0.64	169मी	2–11
3	355	0.24	170मी	0–19
4	329	0.29	205/166	1–03
5	358	0.47	228/167	1–17
6	351	0.71	231/206/166	2–16
7	359	0.77	167मी	3–01

साबिक के नये नम्बरान का रकबा मिलान होकर समतुल्य है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा आराजी नम्बर 358 व 359 को गलत रूप से दर्शित करना कथन किया गया है। इस क्रम में गत नक्शा एवं नवीन नक्शा मिलान से आराजी नम्बर 358 व 359 का गत के मुकाबले सही तरमीम होना पाया जाता है तथा आराजी नम्बर 351 के क्रम में प्रार्थना पत्र में वर्णित विवरण अनुसार ही नवीन नक्शे में तरमीम है। अतः गत के मुकाबले नवीन नक्शे में जांच अनुसार त्रुटि नहीं पाई गई।

6. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार, निम्बाहेडा की रिपोर्ट का अध्ययन कर मनन किया गया। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकित किया हैं कि ग्राम फुटवाल, पटवार हल्का, अरनिया जोशी की वर्तमान आराजी नम्बर 329,351,355,356,357,358 किता 6 रकबा 2.50 हैक्टेयर भूमि जमाबंदी संवत 2072–2075 की खाता संख्या 86 पर श्री लालसिंह, शम्भुसिंह, बलवन्तसिंह पिता कालुसिंह, बलवन्तसिंह ना.बा.वि.माता कलावती, मु. कामेरी बाई पत्नि स्व. किशनसिंह 356/399 दरोगा, शम्भुसिंह पिता कालुसिंह राजपूत 40/396 सा. अरनोदा खातेदार (रहन बदस्तुर) दर्ज रेकार्ड था। जमाबन्दी प्रति संवत 2058–2061 की खाता संख्या 74 पर दर्ज गत साबिक आराजी नम्बर 168 रकबा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 169मी. रकबा 2–11 बीघा, आराजी नम्बर 170मी रकबा 19 बिस्वा, 205/166 मी रकबा 1–03 बीघा, आराजी नम्बर 228/167 रकबा 1–17 बीघा, एवं 231/206/166 रकबा 2–11 बीघा किता 6 रकबा 9–13 बीघा खातेदार लालसिंह, शम्भुसिंह, बलवन्तसिंह पिता कालुसिंह, शम्भुसिंह, बलवन्तसिंह ना.बा.वि. माता कलावती, मु. कामेरीबाई बेवा किशनसिंह दरोगा सा. अरनोदा के नाम दर्ज रिकार्ड थी। गत साबिक आराजी नम्बरान के मिलान क्षेत्रफल अनुसार नवीन नम्बर निम्नानुसार बने है :

क्र.सं.	नवीन आराजियात का विवरण		साबिक आराजियात का विवरण	
	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	आराजी नम्बर	रकबा (बीघा में)
1	357	0.15	168	0–12
2	356	0.64	169मी	2–11
3	355	0.24	170मी	0–19
4	329	0.29	205/166	1–03
5	358	0.47	228/167	1–17
6	351	0.71	231/206/166	2–16
7	359	0.77	167मी	3–01

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:12:27 IST
Reason: SelfAttested

साबिक के नये नम्बरान का रकबा मिलान होकर समतुल्य है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा आराजी नम्बर 358 व 359 को गलत रूप से दर्शित करना कथन किया गया है। इस क्रम में गत नक्शा एवं नवीन नक्शा मिलान से आराजी नम्बर 358 व 359 का गत के मुकाबले सही तरमीम होना पाया जाता है तथा आराजी नम्बर 351 के क्रम में प्रार्थना पत्र में वर्णित

विवरण अनुसार ही नवीन नक्शे में तरमीम है। अतः गत के मुकाबले नवीन नक्शे में जांच अनुसार त्रुटि नहीं पाई गई।

अतः तहसीलदार, निम्बाहेडा की जांच रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया गया हैं कि प्रार्थीगणों की साबिक आराजी के नक्शे के मुकाबले ही नवीन राजस्व नक्शा तरमीम किया गया हैं एवं साबिक तथा नवीन नक्शे में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाई गई है। चूंकि साबिक एवं नवीन नक्शे में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाये जाने के कारण प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश हैं कि

प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 साबिक रिकार्ड से साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/7/23

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:12:27 IST
Reason: SelfAttested